

कार्यालय उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच।म०प्र०।

क्रमांक/ /एल०पी०/न०ग्रा०नि०/2005/ नीमच दिनांक
प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी।राजत्व।
जिला नीमच।म०प्र०।

विषय:- तहसील नीमच के ग्राम बखेड़ा स्थित सर्वे क्रमांक 1049 रकबा 0.150 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 1059 रकबा 0.340 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 1061- रकबा 0.600 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 1062 रकबा 0.340 हेक्टर सर्वे क्रमांक 1064 रकबा 0.420 हेक्टर कुल रकबा 1.850 हेक्टर भूमि के आवासीय अभिन्यास की अवधि बढ़ाने बाबत।

सन्दर्भ:- आवेदक श्री ओमप्रकाश शर्मा अध्यक्ष गृह निर्माण समिति 126, शिक्षक कॉलोनी नीमच के आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2004

==0==

तहसील नीमच के ग्राम बखेड़ा स्थित सर्वे क्रमांक 1049 रकबा 0.150 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 1059 रकबा 0.340 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 1061 रकबा 0.600 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 1062 रकबा 0.340 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 1064 रकबा 0.420 हेक्टर कुल रकबा 1.850 हेक्टर भूमि के आवासीय अभिन्यास की अवधि म०प्र० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत पुनः एक वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक 18.12.2005 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन बढ़ाई जाती है :-

1. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1647/एल०पी०/न०ग्रा०नि०/2000/नीमच दिनांक 19.12.2000 की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

हस्ता०

उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
नीमच म०प्र०

पृ०क्र०/117 /एल०पी०/न०ग्रा०नि०/2005/
प्रतिलिपि:-

नीमच दिनांक 4/2/05

1.

श्री ओमप्रकाश शर्मा, अध्यक्ष सुविधा गृह निर्माण सौ सहकारी संस्था मर्यादित नीमच की ओर सूचनाएं एवं पालनाएं।

उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
नीमच म०प्र०

कार्यालय उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच (म.प्र.)

क्रमांक/
प्रति,

/न.ग्रा.नि./2006/

नीमच दिनांक

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
नीमच, जिला नीमच (म.प्र.)



विषय:-

तहसील नीमच के ग्राम बरूखेडा स्थित सर्वे क्रमांक 1049 रकबा 0.150 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 1059 रकबा 0.340 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 1061 रकबा 0.600 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 1062 रकबा 0.340 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 1064 रकबा 0.420 हेक्टर कुल रकबा 1.850 हेक्टर भूमि के स्वीकृत आवासीय अभिन्यास की स्वीकृति के पुनः स्वीकृति (नवीनिकरण) के संबंध में ।

सन्दर्भ:-


1. आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2005 जो इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 27.4.2006 एवं वांछित जानकारी प्रेषित दिनांक 5.6.06
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1647 दिनांक 19.12.2000

ॐ००ॐ

उपरोक्त विषय में सन्दर्भित पत्र के संबंध में सूचित किया जाता है, कि तहसील नीमच के ग्राम बरूखेडा स्थित सर्वे क्रमांक 1049 रकबा 0.150 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 1059 रकबा 0.340 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 1061 रकबा 0.600 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 1062 रकबा 0.340 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 1064 रकबा 0.420 हेक्टर कुल रकबा 1.850 हेक्टर भूमि का आवासीय अभिन्यास कार्यालय के पत्र क्रमांक 1647/एल.पी./न.ग्रा.नि./2000/दिनांक 19.12.2000 से स्वीकृत किया गया है, जिसकी समयावधि अधिकतम तीन वर्ष एवं अवधि बढ़ाने पर दो वर्ष कुल पांच वर्ष तक प्रभावशील थी ।

सन्दर्भित पत्र-1 द्वारा पुनः स्वीकृति हेतु दिये गये आवेदन के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कॉलोनी के शेष विकास कार्य को सम्पन्न करने के लिये कार्यालय के पत्र क्रमांक 1647 दिनांक 19.12.2000 द्वारा स्वीकृत किये गये आवासीय अभिन्यास की पुनःस्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ की जाती है:-

1. नियमानुसार स्थल पर विकास कार्य यथाशीघ्र संबंधित को सम्पन्न करना होगा ।
2. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1647/एल.पी./न.ग्रा.नि./2000 दिनांक 19.12.2000 में उल्लेखित शर्तें यथावत रहेगी, तथा शर्तों का अक्षरशःपालन आवेदक संस्था को करना अनिवार्य होगा ।


उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
नीमच(म.प्र.)
निरन्तर..02....

//02//

नीमच दिनांक - 12/6/2006


पृ.क. / 381 / एल.पी. / न.ग्रा.नि. / 2006
प्रतिलिपि:-

1.

सरपंच ग्राम पंचायत बरुखेडा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2.

आवेदक श्री ओमप्रकाश शर्मा अध्यक्ष श्री परशुराम सुविधा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या नीमच की ओर उनके आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2005 जो इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 27.4.2006 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
नीमच (म.प्र.)

// देवाल //

कार्यालय उप संघाध्यक्ष

नगर तथा ग्राम विभाग, जिला कार्यालय
बीकानेर, म. पु.

क्रमांक/ अ.प.पी./न.प्रा.वि./00 बीकानेर, दिनांक
पृष्ठ,

अनुसंधानाधीन अधिकांशी [राजस्थान]
बीकानेर जिला बीकानेर [म.पु.] ।



विषय :- तहसील बीकानेर के ग्राम बस्सेड़ा स्थित सर्वे क्रमांक 1049 रकबा 0.150 है, सर्वे क्रमांक 1059 रकबा 0.340 है, सर्वे क्रमांक 1061 रकबा 0.600 है, सर्वे क्र. 1062 रकबा 0.340 है, सर्वे क्र. 1064 रकबा 0.420 है, कुल रकबा 1.850 है, भूमि के आवासीय उपयोग हेतु आवासीय अधिग्रहण एवं अधिव्यापन के अनुमोदन के संबंध में ।

आवेदक :- श्री श्रीगुरुदास शिवा मुरलीधर तथा अण्णु सुनिधा मूल निवासी सहकारी समिति समर्पित बीकानेर ।

संदर्भ :- अण्णु सुनिधा मूल निवासी सहकारी समिति द्वारा संख्या 651/ए.पि./2000 दिनांक 30-11-2000 तहसील बीकानेर के ग्राम बस्सेड़ा स्थित सर्वे क्रमांक 1049 रकबा 0.150 है, सर्वे क्रमांक 1059 रकबा 0.340 है, सर्वे क्रमांक 1061 रकबा 0.600 है, सर्वे क्रमांक 1062 रकबा 0.340 है, एवं सर्वे क्रमांक 1064 रकबा 0.420 है, कुल रकबा 1.850 है, भूमि के संबंध में कार्पोरेट/आवासीय आवासीय क्षेत्र मॉडल बीकानेर द्वारा जारी अध्यादेश आदेश दिनांक 17-9-98 के परिपूरण में प्रस्तावित भूमि के आवासीय विकास हेतु अधिव्यापन का अनुमोदन म.पु. नगर तथा ग्राम विभाग अधिनियम 1973 के प्राधान्यों के तहत विद्यमान विधित्त प्राणों के साथ किया जाता है :-

1. स्वीकृति इसी आधार पर दी जाती है कि संबंधित भूमि आवेदक संस्था की है व तब प्रकार से स्वामित्व में है । स्वामित्व विवाद की दृष्टि में यह स्वीकृति स्थगित की विरस्त मानी जाएगी ।
2. यह स्वीकृति प्राप्त जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष के लिए प्रभावी रहनेगी । इस अवधि में विकास कार्य स्वीकृति के अनुसार नहीं किया गया तो पुनः अवधि बढ़ाने की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
3. स्वीकृति अधिव्यापन अनुसार माँके पर सीमांकन किया जाने तथा सीमांकन का अनुमोदन म.पु. भूमि विकास विभाग 1984 के अंतर्गत प्राप्त करना [इस कार्यालय से] आवश्यक होगा ।
4. संलग्न अधिव्यापन के आधार पर सार्वजनिक सुविधाओं जैसे मार्ग, जल प्रदाय, मलपुत्राह, एवं के जल निकासी, विद्युत व्यवस्था, पार्क विकास आदि का अनुमोदन मानविक पर अंकित करने एवं ग्राम पंचायत बस्सेड़ा से प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
5. विकास कार्य का एटीमेंट भी ग्राम पंचायत बस्सेड़ा से स्वीकृत कराकर उक्त विकास कार्य उनकी देखरेख में किया जाएगा ।
6. म.पु. ग्राम पंचायत [कार्पोरेट/आवासीय] का एटीमेंट/अनुमोदन विद्यमान तथा पूर्व-] विभाग 1999 के विभाग 12 के अंतर्गत परिशिष्ट मुक्त व बाह्य विकास [ग्राम पंचायत बस्सेड़ा में] जमा करना होगा ।
7. विषयानुसार प्रत्येक भूखंड के संपादन/अनुमोदन की प्रतीति 124 एवं लगाये जाना आवश्यक होगा ।

निरन्तर....2...

16] म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 695/32/98 भोपाल, दिनांक 28-1-98 के परिपालन में उपरोक्त के अतिरिक्त प्रति हेक्टर 15 वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा।

16] अभिन्यास में सुला/पार्क क्षेत्र को विकसित कर उसमें यथाचित सुधारोपन करना होगा। उक्त भूमि का अन्य उपयोग में विकास वर्जित होगा।

17] प्रचलित ग्राम पंचायत [कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्तों नियम 1999 के नियम 8,9,10, एवं 12 का पालन करते हुए उक्त नियमों के अंतर्गत कॉलोनी के विकास कार्य की अनुमति स्थल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व नीपच से विधिवत रूप से प्राप्त करना होगी तथा कॉलोनी का विकास कार्य निर्धारित मानकों एवं शर्तों के अधिन आधार पर पूर्ण कर विकास पूर्णता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एड 23/1601/32-1, भोपाल, दिनांक 8-12-95 जो कि आवास नीति के बिन्दु क्रमांक 5:1 एवं 5:2 के संबंध में जारी आदेश ग्राम पंचायत नियम 1999 के नियम 10 में दिये गये विकल्पों के तारतम्य में आदेशक द्वारा शपथ-पत्र में प्रस्तुत विकल्प अनुसार संस्थाश्रेयविकसित किये जाने वाले भूखंड क्षेत्र में जिसे मानचित्र में कलियाई रंग से दर्शाये गये क्षेत्र के अंतर्गत पूर्ण विकसित भूखंड कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिये जिलाध्यक्ष द्वारा गणित हितग्राहियों को प्रथमतः उपलब्ध कराना होगा।

19] निम्न अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत यदि कोई अनुमति आवश्यक हो तो उसे प्राप्त करना होगा।

1. म.प्र. भू-राजस्व संहिता।
2. म.प्र. शासन पंचायत (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्तों) नियम 1999
3. म.प्र. पंचायत राज अधिनियम

संलग्न:- स्वीकृत अभिन्यास की एक प्रति,

246
प्र. उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
नीमच

पृष्ठा. क्रमांक / 1648 / एल.पी. / नगानि/2000
प्रतिलिपि:-

नीमच, दिनांक 19/12/2000

संलग्न, ग्राम पंचायत बखेडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

संलग्न:- स्वीकृत अभिन्यास की एक प्रति,

19/12/2000
प्र. उप संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
नीमच

सोलंकी/122000